मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012 (फाल्गुन 24, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 141 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 122 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य ने छतरपुर जिले के ग्राम परापट्टी के बांध का निर्माण किये जाने,
(2) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में विद्युत संकट होने,
(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने दतिया जिले के ग्राम खिरिया झांसी में शाला के पट्टे की भूमि का सदुपयोग न करने,
(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण राशि न देने,
(5) श्री आशाराम अहिरवार, सदस्य ने दतिया जिले में पहुंच नदी पर रपटे का निर्माण न होने,
(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने सरदारपुर क्षेत्र में कृषकों को गुणवत्ता का खाद एवं बीज न मिलने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की गसवानी के सरपंच तथा पंचायत सचिव पर कार्रवाई न होने तथा
(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के सुरखी क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल संकट होने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।
(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसंपर्क मंत्री ने मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।
(3) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा.

4. ध्यान आकर्षण

(1) श्री कमल पटेल तथा गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्यगण ने हरदा जिले में कृषकों को सोयाबीन फसल की बीमा राशि न मिलने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड एवं दतिया जिले के अंतर्गत मिहोना-लहार-दबोह-भाण्डेर-चिरगांव सड़क मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद) लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री द्वारा अपना और परिवार का सम्पत्ति विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मोती कश्यप, सभापति ने याचिका समिति का सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री जुगुल किशोर (जिला-सतना)
(2) श्री माखनलाल राठौर (जिला-शिवपुरी)
(3) श्री रामनिवास रावत ((जिला-श्योपुर)
(4) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (जिला-नीमच)
(5) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(6) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-बड़वाह)
(7) श्री कमलेश जाटव (जिला-मुरैना)

8. वर्ष 2011-12 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2011-12 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 15 मार्च, 2012 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

9. अध्यक्षीय घोषणा

विभागों की मांगों के प्रस्तुतीकरण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि कार्यसूची के पद 7 में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग, विमानन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग से संबंधित विभागों की चर्चा का उत्तर देने के लिए श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री को, आयुष विभाग एवं चिकित्सा से संबंधित मांगों पर सदन में चर्चा का जवाब देने के लिये श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री तथा लोक सेवा प्रबन्धन विभाग से संबंधित मांगों पर चर्चा का जवाब देने के लिये श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त विभागों से संबंधित सभी मांगें परंपरानुसार राज्यमंत्री, श्री कन्हैयालाल अग्रवाल द्वारा एकजाई प्रस्तुत की जायेंगी।

10. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन के लिए दो सौ छियालीस करोड़, चालीस लाख, बहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए सैंतालीस करोड़, छिहत्तर लाख, बाईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 38	आयुष के लिए तीन सौ छियालीस करोड़, चौरासी लाख, अठारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए अठारह करोड़, बावन लाख, पच्चीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 73	चिकित्सा शिक्षा के लिए तीन सौ बीस करोड़, सत्तर लाख, इक्यानवे हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए सात सौ अठानवे करोड़, बयासी लाख, अट्ठाईस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री ताराचंद बावरिया

(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री देवेन्द्र वर्मा
(9) श्री बाबूलाल वर्मा
(10) श्री रामखेलावन पटेल
(11) श्री बृजमोहन धूत
(12) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा तथा श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबन्धन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए आठ सौ इकसठ करोड़, छियासठ लाख, चौसठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए अड़सठ करोड़, साठ लाख रूपये

तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री अरूणोदय चौबे
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(7) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(8) श्री मूल सिंह
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 6.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2012 (फाल्गुन 25, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 मार्च, 2012